

सारंगढ़ तहसील में कृषि जोत का आकार: एक भौगोलिक अध्ययन

केदार नाथ नायक¹, डॉ. एस. आर. कमलेश²

¹ शोधार्थी, भूगोल विभाग, पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

² प्राचार्य एवं शोध निर्देशक, भूगोल विभाग, शास. बिलासा कन्या पी.जी. महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

कृषि विकास तथा उपयुक्त फसलों के निर्णय में कृषक की जोत का आकार महत्वपूर्ण होता है। जोत के आकार सीधे कृषि के प्रकार और गहनता से संबंधित होते हैं। जोत के आकार का कृषक के जीवन स्तर से घनिष्ठ संबंध होता है। कृषि जोत का क्षेत्रफल कृषि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कृषि जो एक खण्ड न होकर अनेक खण्डों में विभक्त हो सकती है जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। छोटे कृषकों के पास साधन पर्याप्त न होने के कारण उत्पादन न्यून होता है। जबकि बड़े कृषक अपनी समस्त कृषि भूमि पर एक समान कार्य निपुणता के साथ फसलें पैदा नहीं करते। अतएव अनुकूलतम जोत के आकार की कल्पना की जाती है। जोत के आकार पर कृषि के मापक जैसे कृषि यंत्रों की संख्या, यांत्रिक शक्ति निवेश की मात्रा उत्पादन तकनीक एवं कृषि उत्पादन क्षमता आदि निर्भर होता है।

मुख्य शब्द: जोत का आकार, लघु जोत, सीमांत जोत, अर्ध मध्यम जोत, वृहद जोत, कृषि विकास

जोत के आकार का कृषक के जीवन स्तर से घनिष्ठ संबंध होता है। कृषि जोत का क्षेत्रफल कृषि उत्पादन क्षमता में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार सम्पूर्ण कृषि जो एक खण्ड न होकर अनेक खण्डों में विभक्त हो सकती है जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। छोटे कृषकों के पास साधन पर्याप्त न होने के कारण उत्पादन न्यून होता है। जबकि बड़े कृषक अपनी समस्त कृषि भूमि पर एक समान कार्य निपुणता के साथ फसलें पैदा नहीं करते। अतएव अनुकूलतम जोत के आकार की कल्पना की जाती है। जोत के आकार पर कृषि के मापक जैसे कृषि यंत्रों की संख्या, यांत्रिक शक्ति निवेश की मात्रा उत्पादन तकनीक एवं कृषि उत्पादन क्षमता आदि निर्भर होता है।

अस्तु प्रस्तुत शोध प्रपत्र का उद्देश्य "सारंगढ़ तहसील में कृषि जोत का आकार : एक भौगोलिक अध्ययन" से संबंधित अध्ययन है।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध प्रविधि

सारंगढ़ तहसील छत्तीसगढ़ के सुदूर पूर्व में बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिले के अन्तर्गत स्थित है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 1632.46 वर्ग कि.मी. है। जिले के दक्षिण में इसका भौगोलिक विस्तार 21°-20' उत्तर से 21°-35' उत्तरी अक्षांश से 82°-45' पूर्व से 83°-25' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इसकी उत्तरी सीमा पर जांजगीर का डभरा तथा रायगढ़ का पुसौर तथा पूर्व में महासमुंद जिले का सरायपाली एवं दक्षिण में बलौदाबाजार का कसडोल तहसील है।

2001 की जनगणना अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से सारंगढ़ तहसील 2 विकासखण्ड, 5 पुलिस स्टेशन, 4 राजस्व निरीक्षण मण्डल, 162 ग्राम पंचायत, 536 गांव और 2 नगर पालिका में विभाजित है तथा सारंगढ़ नगर ही तहसील मुख्यालय है। अध्ययन सुविधा के लिए तहसील के दोनो विकासखण्डों के 52 पटवारी हल्कों को 25 संयुक्त पटवारी हल्के में विभाजित किया गया है।

सारंगढ़ तहसील की जलवायु विशाल मानसून व्यवस्था का अंग है। समग्र रूप से यहां की मिट्टी लाल-पीली मिट्टी के अन्तर्गत आती है। सारंगढ़ तहसील का दक्षिणी एवं पूर्वी भाग सारंगढ़ वन परिक्षेत्र में फैला है तथा गोमर्डा अभ्यारण 277.82 वर्ग कि.मी. विस्तृत है। जनगणना 2001 के अनुसार यहां की जनसंख्या

3,29,567 व्यक्ति है। जनसंख्या का औसत घनत्व 138 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। सारंगढ़ तहसील की जनसंख्या दशाब्दिक वृद्धि दर 18.05 प्रतिशत (1991-2001) तथा लिंगानुपात 1021 है। तहसील का कार्यशील जनसंख्या का औसत अनुपात 46.67 प्रतिशत है। तहसील में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क मार्ग ही है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र सारंगढ़ तहसील के विकासखण्डों, राजस्व निरीक्षक मण्डलों और पटवारी हल्के को आधार माना गया है, जिनके आंकड़े पटवारी के जमाबन्दी एवं गोशवारा के साथ-साथ अन्य संबंधित अभिलेखों, राजस्व वृत्त प्रतिवेदन तथा अध्ययन से संबंधित आंकड़े 10 प्रतिदर्शी गांवों के प्रत्यक्ष पारिवारिक सर्वेक्षण से आंकड़े प्राप्त कर भूमि उपयोग, कृषि जोत का आकार, कृषि विकास का स्तर तथा कृषि से संबंधित आंकड़ों का संकलन तीन वर्षों के (2002 से 2005) विकास प्रतिरूप के पिछड़े दस वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र रायगढ़ जिले के सारंगढ़ तहसील का चयन तहसील के 9 पटवारी हल्कों को आधार मानकर प्रतिचयित 10 ग्रामों का सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े संकलित किये गये हैं तथा द्वितीयक समंक हेतु विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मिट्टी परीक्षण शाला, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, सेंसस रिपोर्ट, जिला गझेटियर, भूअभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा प्रकाशित वार्षिक ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन एवं कृषि संगणना आदि समंक संकलन कर अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विधियों में दर, प्रतिशत, औसत, घनत्व आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर विश्लेषण किया गया है।

कृषि जोत का अर्थ एवं आकार

कृषि जोत का अर्थ कार्यशीलता के आधार पर दो प्रकार से लगाया जाता है - भूस्वामी की जोत व कृषक की जोत। भूस्वामी की जोत का अर्थ-भूमि के उस आकार से है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है जबकि कृषक की जोत का अर्थ-भूमि के उस आकार से है जिसे कृषक वास्तव में जोतता है। भूस्वामी अपनी समस्त भूमि पर खेती नहीं कर कुछ भूमि पर खेती करता है और शेष किसी अन्य को खेती करने के लिए उठा

देता है तो भूस्वामी जोत व कृषक की जोत अलग-अलग हो जाती है। यदि भूस्वामी जोत व कृषक की जोत अलग-अलग हो जाती है। यदि भूस्वामी अपने समस्त भूमि पर खेती करता है तो भूस्वामी जोत व कृषक जोत एक हो जाती है।

जोत का आकार क्या होना चाहिए यह बतलाना कठिन है क्योंकि कृषि भूमि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता अत्यधिक भार तथा भूमि सुधार कानूनों में लचीलेपन की कमी आदि कारणों से वृहत् आकार की जोतें लघु आकार की जोतों के रूप में विभाजित होती जा रही हैं। अतएव जोत का प्रमाणिक आकार सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि कार्य करने के प्रकार पर निर्भर है। जोत के आकार का छोटा होना बढ़ती कृषक जनसंख्या के साथ संयुक्त परिवार के विघटन का ही परिणाम है। सभी उत्तराधिकारियों को अच्छी तथा बेकार सभी प्रकार की भूमि में समान हिस्सा मिल सके इस सिद्धांत के कारण पैतृक जोत संतति तक पहुंचने पर स्थिति और उपजामन के अनुसार अनेकों टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। यह विभाजन एक घटना मात्र नहीं है। इसके मूल में उचित हिस्सा तथा आर्थिक न्याय का भी सिद्धांत है।

जोत के आकार का अध्ययन कृषि संगणना के द्वारा पांच वर्ष के बाद संकलित आकड़ों के आधार पर किया जाता है। कृषि संगणना 1975 द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए जोत के आकार क्षेत्रफल के आधार पर पांच वर्ग बनाये गये हैं। जोत आकार वर्ग का कृषकों के जीवन स्तर से घनिष्ठ धनात्मक संबंध होता है। सीमांत जोत का आकार अधिकांशतः कृषि श्रमिकों के पास होता है। लघु जोत के आकार वाले कृषक अपने जोत पर स्वयं कृषि करने के साथ-साथ कृषि श्रमिक के रूप में अन्य भूमियों पर मजदूरी करते हैं। अर्द्ध मध्यम एवं मध्यम जोत वाले कृषक अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं। मध्यम जोत वाले कृषकों का स्तर कुछ ऊंचा होता है। अतः वह स्वयं कृषि कार्य करने के साथ-साथ श्रमिकों से भी कृषि कार्य करवाते हैं। वृहत् जोत के आकार बड़े कृषकों के पास होता कृषि श्रमिकों से कार्य उत्पादन के एक निश्चित अंश पर कृषि कार्य करने के लिये दे देते हैं इस प्रकार वृहत् जोत के आकार वाले कृषक उस भूमि का भू-स्वामी कहलाता है।

जोत के आकार का स्थानिक वितरण

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर 1998-2001 में कुल जोतों की संख्या का 50.8: सीमांत, 17.5: लघु जोत, 15.3: अर्द्धमध्यम जोत, 11.5: मध्यम जोत तथा 4.2: वृहद् जोत के अंतर्गत है। (आरेख 2.5) जोत क्षेत्रफल में इसके ठीक विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। तहसील में कुल जोतों का क्षेत्रफल का सबसे अधिक क्षेत्र 32.6: मध्यम जोत, 32.1: वृहद् जोत में 32.1: तथा 20.4 प्रतिशत अर्द्धमध्यम में तथा 9.6: सीमांत एवं 6.1: लघु जोत के अंतर्गत है।

विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि विगत 10 सालों में जोत के आकार की संख्या तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन हुए हैं। तहसील में इस कालावधि में सीमांत जोत के क्षेत्र तथा संख्या दोनों में क्रमशः 24.47 तथा 19.04: की वृद्धि हुई है। तहसील में औसत रूप से जोतों की संख्या में 19.02: की कमी हुई है जिसका अनुपात लघु जोत आकार में -4.59: अर्द्धमध्यम में -7.42: मध्यम में -6.29: तथा वृहद् जोत -0.72 सबसे कम ह्रास हुआ है। जबकि सीमांत जोत में अकेले 19.04: की वृद्धि दर्ज की गई है।

सारंगढ़ तहसील में सीमांत जोत के कृषकों का जीवन कठिन है क्योंकि इन्हें प्रायः जीवन यापन के लिये कृषि मजदूरी एवं गैर कृषि मजदूरी पर आश्रित रहना पड़ता है और ये कुल जोतों की संख्या के 50.08: भाग को आबद्ध करते हैं तथा इनकी संख्या में पिछले 10 वर्षों में 19.04: की धनात्मक वृद्धि हुई है। इसी तरह सीमांत जोतों के क्षेत्रफल में भी 24.47: की धनात्मक वृद्धि हुई है।

तहसील में सीमांत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल में वृद्धि का मुख्य कारण लघु एवं अर्द्धमध्यम आकार के जोतों का उपविभाजन है। इसके अलावा क्षेत्र के वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा थोड़ी-थोड़ी भूमि क्रय करना भी एक कारण है।

सारंगढ़ तहसील में लघु कृषकों की संख्या में -4.59: का ह्रास हुआ है। तथा क्षेत्रफल में 4.50: की वृद्धि प्रतिवेदित हुई है जो कुल जोत संख्या का 17.5: तथा क्षेत्रफल का मात्र 6.1: है। इसका मुख्य कारण अर्द्धमध्यम एवं मध्यम आकार के जोतों का उत्तराधिकार कानून तथा बढ़ती हुई कृषक जनसंख्या के कारण विभाजन होना है। अर्द्धमध्यम आकार के जोत संख्या और क्षेत्र दोनों में ह्रास हुआ है लेकिन संख्या की तुलना में क्षेत्र में ज्यादा ह्रास हुआ है क्योंकि भूमि की अधिक मात्रा बँटवारे में अपखंडित हो जाती है।

मध्यम तथा वृहद् आकार के जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल में भी ह्रास हुआ है लेकिन संख्या की तुलना में क्षेत्र में ज्यादा कमी आयी है जिसका मुख्य कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होने कारण कृषि भूमि का टुकड़ों में विभक्त होना है। इसके साथ ही वृहद् आकार के जोतों का उचित प्रबंधन न हो पाने के कारण छोटे-मोटे टुकड़ों में कृषि भूमि का बेचा जाना आदि है। इसके परिणाम स्वरूप सीमांत एवं लघु आकार के जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है।

औसत जोत आकार

यह कृषक जनसंख्या के घनत्व, भूमि की उत्पादन क्षमता एवं उच्च कृषि तकनीकी के प्रयोग से नियंत्रित होने के साथ उत्तराधिकार कानून से भी प्रभावित होता है। यहाँ जोतों के औसत आकार को ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित सूत्रों को आधार माना गया है

जोतों का औसत आकार = जोतों का कुल क्षेत्रफल / जोतों की कुल जनसंख्या

वर्ष 2010 की कृषि संगणना के अनुसार तहसील में औसत जोत आकार 1.54 हेक्टेयर है पर इसका मध्यमान 2-4 हेक्टेयर के समूह में है। तहसील में 2-4 हेक्टेयर (अर्द्धमध्यम) की श्रेणी में कुल कृषि का 20.4: भाग सम्मिलित है और इस अर्द्धमध्यम वर्ग में हालाँकि कृषकों की संख्या कुल का 15.3: है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह तहसील का मध्यमान है। यद्यपि इस वर्ग के नीचे सीमांत व लघु कृषकों (खासकर सीमांत) की संख्या बहुत अधिक है और इनके पास कुल कृषि भूमि का कृषकों मात्र 15.1: है। तहसील में कुल कृषि भूमि का लगभग 485 भाग (85.1:) 2 हेक्टेयर और उसके अधिक बड़े आकार के जोतों में है जिसके कारण कृषि उत्पादकता का स्तर मध्यम से उच्च बना रहता है।

जोत के आकार का कृषि विकास पर प्रभाव

1. वृहद् जोत आकार की तुलना बड़े उद्योगों से की जाती है। (कोहेन 1959) इनके पास कृषिगत उत्पादन तथा बचत तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। जिसके कारण ये कृषक उन्नत कृषि निवेशों हेतु ज्यादा सक्षम होते हैं परिणामस्वरूप उत्पादन अधिकाधिक वृद्धि प्रोत्साहित होती है।
2. बहुत बड़े आकार के जोतों में शस्य गहनता एवं फसल विविधता अधिक पाई जाती है। क्योंकि ये कृषक सिंचाई आदि की सुविधा होने की दशा में अपने खेतों में धान की फसल के पश्चात् दलहन, तिलहन की फसल भी लेने का प्रयास करते हैं ऐसे क्षेत्रों में दाल व तेल की कीमतों में वृद्धि होने से इनकी खेती को भी प्रोत्साहन मिला है।
3. प्रायः लघु एवं सीमांत कृषकों के पास साधन कम होते हैं और इनके कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग अपने परिवार

- में ही खपत हो जाता है अन्य कृषि निवेशों के लिये बचत कम ही हो पाता है द्य जिससे उन्नत कृषि निवेशों की कमी के कारण उत्पादन कम होने लगता है।
4. सीमांत जोत में परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता है और रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में परिवार के सभी सदस्य छोटे भूमि पर कृषि करने के लिये बाध्य होते हैं। जिससे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना बनी रहती है।
 5. एक सीमा के बाद वृहद् जोतों की उत्पादकता कम हो जाती है आकार बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की संख्या एवं अन्य निवेश इतनी बढ़ जाती है कि कृषक को अलग से प्रबंध व्यवस्था रखनी पड़ती है, जिससे प्राप्त लाभ प्रभावित होने लगता है।

निष्कर्ष

इस तरह देखा जाय तो जोत आकारों का प्रभाव कृषि के स्वरूप तथा कृषि उत्पादकता पर पड़ता है तथा जोत का आकार कृषि कार्य की सफलता व फसलों के आर्थिक प्रतिरूप को निश्चित करने का अच्छा साधन होने के साथ-साथ जोत आकार कृषकों के जीवन स्तर से घनिष्ठ धनात्मक संबंध रखता है।

संदर्भ सूची

1. श्रीवास्तव, पी. एन: जिला गजेटियर, रायगढ़ जिला, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग म. प्र. भोपाल, पृ. 1-23।
2. महानिदेशक वेधशाला तथा भूभौतिकी, भारत सरकार, दिल्ली का प्रतिवेदन।
3. Govind Rajan S-V-: [Studies on soil of India] Vikash Pub- House Pvt- Ltd- New Delhi] & Gopal Rao H-C-P-141.
4. Detailed Soil Survey Report for Mand irrigation Project M-P- Govt- Report P-63
5. सिंह, रामबली एवं पाण्डेय श्रीकांत: 'फरेन्दा तहसील में जनसंख्या घनत्व: एक भूवैज्ञानिक- कालिक विश्लेषण, उ. भा.भू.प., (1979) अंक-15, संख्या-2, पृ. 115-126.
6. कुमार, प्रमिला: 'मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन' म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल (1994).
7. जोशी, वाई. जी.: नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल, म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल (1972).
8. त्रिपाठी, के एवं चन्द्राकर पी.: 'छत्तीसगढ़ का भूगोल' शारदा प्रकाशन बिलासपुर, (2001),
9. कमलेश, एस. आर.: 'कृषि भूगोल: बिलासपुर संभाग में कृषि विकास का स्तर एक भौगोलिक अध्ययन, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर (1996), पृ. 8-23.
10. Mandal] R-B- (1982): Land Utilization Theory and Practice] Concept Pub-New Delhi-
11. Singh] Jasbir (1974&75) : An Agricultural Atlas of India : A Geographical
12. Analysis] Vishal Pub- Kurukshetra (Haryana) P- 101-
13. Mitra, M-S- (1980): 'Agricultural Geography of Chhattisgarh Basin' Sahitya Ratnalaya Kanpur, PP- 54-
14. Jain, C-K- (1988): 'Patterns of Agricultural Development in M-P., Geographical Analysis, Northern Book Centre, New Delhi, P- 62.
15. Govt- of India (1960): Co-Ordination of Agricultural Statistis in India, Ministry of Agriculture-
16. Shafi, M.C. (1960): Land Utilization in Estern U-P- University Press, Aligarh-
17. जोशी, यशवंत-गोविंद (1972): नर्मदा बेसिन का कृषि भूगोल म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।